

(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE PART-IV EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT
DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

No.10(1)/Fin(Rev-I)/2014-15/dsVI/

Dated the /2014

NOTIFICATION

No.10(1)/Fin(Rev-I)/2014-15/ .- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 81 of the Delhi Excise Act, 2009 (Delhi Act 10 of 2010), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby makes the rules further to amend the Delhi Excise Rules, 2010 as following, namely :-

1. Short Title and Commencement.- (1)These rules may be called the Delhi Excise (Amendment) Rules 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendment of rule 152 in the Delhi Excise Rules, 2010 in sub rule(1). -

- (a) In clause (i) in the column pertaining to "Duty @ Wholesale Price" and in Row pertaining to Sl. No.2 for the figures "170 percent" the figures "225 percent" shall be substituted.
(b) In clause (iii) for the rows pertaining to serial numbers 1,2 and 3 the following shall be substituted, namely: -

S.No.	Category	Duty @ Wholesale price
1.	Beer, Cider and Alcopop per quarts of 650 ml	150 percent

3. Amendment of rule 154 in the Delhi Excise Rules, 2010, in sub rule (4). - in column 4 of the table, in row pertaining to serial number 14 for the provision (b), the following shall be substituted, namely: -

"Fee for import of Economy Liquor as declared in Terms and Conditions for grant of L-1 Licence excluding beer"

By order and in the name of the Lieutenant Governor
of National Capital Territory of Delhi,


(RAVINDER KUMAR)
Deputy Secretary-VI (Finance)

No.10(1)/Fin(Rev-I)/2014-15/dsVI/ 603
Copy to :-

Dated the 17/6/2014

1. The Pr. Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi with one spare copy for its publication in Delhi Gazette Part-IV (extraordinary) in today's date.
2. The Pr. Secretary to Lt. Governor, Raj Niwas, New Delhi
3. The Pr. Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Secretary (L&J), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Commissioner of Excise, Entertainment & Luxury Tax, L-Block, Vikas Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
6. Web site S
7. Guard file.


(RAVINDER KUMAR)
Deputy Secretary-VI (Finance)

(दिल्ली राजपत्र भाग – 4 असाधारण में प्रकाशनार्थी)
 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
 वित्त (राजस्व –I) विभाग
 दिल्ली सचिवालय, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली –110002

सं. एफ.10(1)/वित्त (राजस्व-I)/14-15/डीएस-VI/

दिनांक

/2014

अधिसूचना

सं. एफ.10(1)/वित्त(राजस्व-I)12-13/ — दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 (2010 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 81 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 में पुनः संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :—

- (1) इन नियमों को दिल्ली आबकारी (संशोधन) नियमावली, 2014 कहा जाएगा।
- (2) यह दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगी।

2. दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 152 के उपनियम (1) में संशोधन :—

- (क) खंड (i) में “थोक विक्रय मूल्य पर शुल्क की दर” से संबंधित कॉलम में और क्रम संख्या 2 से संबंधित पंक्ति में आए अंक “170 प्रतिशत” के स्थान पर अंक “225 प्रतिशत” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- (ख) खंड (iii) में क्रम संख्या 1, 2 एवं 3 से संबंधित पंक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

क्र० सं०	श्रेणी	थोक विक्रय मूल्य पर शुल्क की दर
1.	बीयर, साइडर और एल्कोपॉप 650मिली का प्रति क्वार्टज़	150 प्रतिशत

3. दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 154 के उपनियम (4) में संशोधन.— तालिका के कॉलम 4 में क्रम संख्या 14 से संबंधित पंक्ति में उपबंध (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“बीयर को छोड़कर एल-1 लाइसेंस प्रदान करने के लिए घोषित शर्तों के अनुसार सरती शराब के आयात हेतु शुल्क”

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
 के आदेश से तथा उनके नाम पर

(रविन्द्र कुमार)

उपसचिव-VI (वित्त)

दिनांक 1/7/2014

सं. एफ.10(1)/वित्त (राजस्व-I)/14-15/डीएस-VI/603
 प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :—

1. प्रधान सचिव, (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, को आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ एक अतिरिक्त प्रति सहित।
2. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली।
3. प्रधान सचिव, (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली
4. सचिव, (विधि एवं न्याय) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली
5. आयुक्त आबकारी, मनोरंजन एवं विलासिता कर, एल-ब्लाक, विकास भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
6. वेबसाईट।
7. गार्ड फाईल।

(रविन्द्र कुमार)
 उपसचिव-VI (वित्त)